प्रस्तावना का सारांश

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का इतिहास है। भारत में प्राचीन काल से ही पठन-पाठन का कार्य चला आ रहा है। भारतीय शिक्षा अपने विभिन्न विकास के काल में भिन्न-भिन्न रूपों में समय और शासक-सत्ता के प्रभावों से प्रभावित रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर केवल बारह प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.4 प्रतिशत है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ले कर आज तक की यात्रा में देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का समाना करना पड़ा, जिसके कारण सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति धीमी रही। इस समय में शिक्षा को लेकर कई चुनौतियां भी रही और कमियाँ भी रही है। विशेष कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी ज्यादे रही, जहां स्कूल की इमारत नहीं होती अथवा बारिश होने पर स्कूल पंहुचने की संभावना भी नहीं होती थी। दूर स्थानों पर स्कूल व सुविधा की कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त कर पाना काफी मुश्किल भरा था, आदिवासी, हाशिये पर धकेले गए लोगों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को शिक्षा की उचित व्यवस्था कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय था। नीति निर्माताओं ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की सुधार हेतु विभिन्न अधिनियम व कार्यक्रम यथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा नीति 1968, 86 व 92, सर्व शिक्षा अभियान आदि को लागू किया। इन नीतियों के मूल्यांकन के बाद इनमें होने वाले कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। जिसमें प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता यह उसका मौलिक अधिकार है तथा मानवाधिकार के अनुच्छेद 26 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों का मानवाधिकार भी है। इस अधिनियम को लागू हुए आज छ: वर्ष से अधिक हो गया है।

साहित्य पुनरावलोकन सारांश

साहित्य पुनरावलोकन हेतु कृष्ण कुमार की पुस्तकें *शिक्षा और ज्ञान , शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व , शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, गिजुभाई की *बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया*, मदन मोहन झा की *समवेशी शिक्षा,* इवान इलिच की *डी-स्कूलिंग*, श्याम चरण दुबे की *शिक्षा समाज और भविष्य*,राजा राम भादु की *शिक्षा के सामाजिक सरोकार* आदि पुस्तकों का प्रयोग किया गया है। इन पुस्तकों के अवलोकन के फलस्वरूप शिक्षा से संबंधित विभिन्न दृस्टिकोणों, समाज में शिक्षा की स्थिति व समस्याओं आदि को जानने का प्रयास किया गया।

निष्कर्ष

शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून को लागू हुए अब तक छ: वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इस कानून को अप्रैल 2010 में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर समूचे भारतवर्ष में लागू किया गया था। इस लघु शोध के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी वास्तविकता और समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है। शिक्षा की वास्तविकता और समस्याओं को जानने के लिए इसे हम तीन खंड में विभाजित कर के देखते है, प्रथम छात्रों के स्तर पर, दूसरा अभिभावक के स्तर पर और तीसरा प्रधानाध्यापक के स्तर पर। इस लघु शोध के आकड़ों के विश्लेषण के फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत अभी भी छ: प्रतिशत बच्चों को उनके आयु संगत कक्षा में प्रवेश नहीं मिला है, जो उ० प्र० शिक्षा के अधिकार अधिनियम के धारा 4 का उलंघन करता है और विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों को न करने को भी दर्शाता है क्योंकि उ० प्र० शिक्षा के अधिकार अधिनियम के धारा 21 के उपखंड 8 के छ: में इस समिति के कार्यो में बताया गया है कि यह समिति जहां किसी भी बालक की आयु छ: वर्ष से अधिक है उन बच्चों को इनके आयु संगत कक्षा में प्रवेश करा-कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप सरकारी प्राथमिक स्कूल में बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई, लेकिन बालक की शिक्षा में वृद्धि नहीं हुई है। अभिभावक बालक को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण के लिए भेजते है जबकि बालिका को गाँव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण के

लिए भेजते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी गाँव में बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण विरोधाभासी है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक स्कूल में सामान्य वर्ग के छात्र- छात्रा शिक्षा ग्रहण के लिए नहीं जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या ये लोग सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को कम योग्य, यहां उचित शिक्षा व्यवस्था का न होना या जातिगत मान- सम्मान के लिए अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा के लिए नहीं भेजते है, इन कारणों को समझ कर इस खाई को पाटने की आवश्यकता है। सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल के प्रति लगाव है। ग्रामीण क्षेत्र में 24 प्रतिशत शिक्षक समय से नहीं आते है जबकि 44 प्रतिशत बच्चों को शिक्षक प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ग नहीं पढ़ाते हैं। उ० प्र० शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छात्र-शिक्षक अनुपात प्रति चालीस छात्रों पर एक शिक्षक की है, इस कारण से भी शिक्षक छात्रों के सभी वर्ग को नहीं पढ़ा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 32 प्रतिशत बच्चों को शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है, जबकि 84 प्रतिशत अभिभावक व सभी प्रधानाध्यापकों का मानना है कि उनके स्कूल में पंजीकृत सभी छात्र-छात्रा रोज पढ़ने नहीं आते है, इससे स्पष्ट होता है की सरकारी प्राथमिक स्कूल में पंजीकृति छात्र-छात्रा प्रतिदिन पढ़ने नहीं आएगें तो शिक्षक जो पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आ सकता और इस समस्या को दूर करने के लिए अभिभावक को अपने बच्चों को रोज स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए व शिक्षक को इन बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए । उ०प्र० शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 खंड ढ के उपखंड 3 और 4 में सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मुफ्त में ड्रेस व किताबें देना है, लेकिन प्रधानाध्यापकों का कहना है कि सभी बच्चों को ड्रेस व किताबें मुफ्त में दी जाती है परंतु यह समय से नहीं मिल पाती है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। प्रधानाध्यापकों के अनुसार बच्चों का प्रवेश जुलाई माह में होता है लेकिन उनको ड्रेस व किताबें सितंबर या अक्टूबर माह में ही मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक स्कूल में मध्यकालीन भोजन की व्यवस्था ठीक-ठाक ही होती है जबकि 20 प्रतिशत बच्चों को प्रतिदिन मध्यकालीन भोजन नहीं मिल पाता हैं और इसके पीछे ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापकों के बीच संबंध का अच्छा न होना ही मुख्य कारण है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इन स्कूलों में खेल-कूद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, प्रधानाध्यापकों का कहना है की

सरकार द्वारा खेल-कूद की व्यवस्था नहीं की जाती है, इसके लिए हम लोग अपने से समान लेकर आते है। ग्रामीण क्षेत्र के 40 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक स्कूल में अभी भी पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और 20 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे भी है जंहा सिर्फ महिला शिक्षक ही है और लगभग हर स्कूल में भी महिला शिक्षक है, तो इनके लिए अलग से कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है तो ये शिक्षक बालिका शौचालय का प्रयोग करती हैं और फिर उसमें ताला लगा देती है ताकि छात्राओं द्वारा गंदा ना हो सके।

प्राप्त अकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में 34 प्रतिशत अभिभावक को पता ही नहीं है और जिन अभिभावक को इस अधिनियम की थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी स्कूल द्वारा निकली जाने वाली शिक्षा की जागरूकता रैली के कारण है। जब तक अभिभावक को इस अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं होगी तो इस अधिनियम में उनसे संबंधित अधिकार को वे नहीं जान पायेंगे और इस अधिनियम को पूर्णरूप से क्रियान्वित करने में भी असुविधा होगी। अधिकतर अभिभावकों का मानना है कि उनके गांव के स्कूल में शिक्षक रोज आते है तथा प्रत्येक वर्ष उनके गांव में शिक्षा की जागरूकता के लिए रैली निकली जाती है, लेकिन कुछ अभिभावक को मानना है कि उनके गांव में शिक्षा की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष रैली नहीं निकाली जाती है। उ० प्र० शिक्षा के अधिकार अधिनियम में धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की बात की गयी है, प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट होता है की 54 प्रतिशत अभिभावकों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और जब-जब भी विद्यालय में बैठक होती है तो सर्वाधिक 74 प्रतिशत अभिभावक उस बैठक में नहीं जाते हैं, चाहें वे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो या न हो। ग्रामीण क्षेत्र में 42 प्रतिशत अभिभावक ही सरकारी प्राथमिक स्कूल को अच्छा मानते हैं व 48 प्रतिशत अभिभावक ही इन स्कूलों में अपने बच्चों की पढ़ाई से संतुष्ट हैं। जो अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है वे या तो उनके बच्चे छोटे हैं या प्राइवेट स्कूल दूर है या फिर आर्थिक तंगी के कारण ही अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाते हैं और 46 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को आगे मध्यमिक की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में देना चाहते हैं।

इस लघु शोध में प्राप्त आकड़ों व प्राध्यापकों का लिया गया असंरचित साक्षात्कार[1] से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जानकारी पूर्णरूप से 80 प्रतिशत प्राध्यापक को है। 20 प्रतिशत प्राध्यापक ऐसे भी है जिन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होते हैं ये भी जानकारी नहीं है तो इस समिति के गठन और इसकी कार्य के बारे में क्या बात किया जाए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इन स्कूलों के मूल्यांकन करने वाले अधिकारी पर भी सवालियां निशान खड़ा होता है। इन सभी स्कूलों में पंजीकृत सभी विद्यार्थी रोज पढ़ने नहीं आते हैं, तो इनके मध्यकालीन भोजन के लिए मिलने वाले सामाग्री व फल के लिए मिलने वाले पैसे कहां खर्च होते हैं, जबकि फाइलों में इन सब की पुष्टि की होती है कि पैसे व सभी सामाग्री खत्म हो जाती है। पंजीकृत सभी विद्यार्थी रोज पढ़ने नहीं आते है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उनको बिना उपस्थिती और परीक्षा दिए पास कर देना उचित है, अगर यह सिर्फ साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ही है तो कहा तक सही है, इस पर भी ध्यान देना होगा। ये बच्चे बिना परीक्षा दिए अगर पास हो जा रहे और आगे की कक्षा में इनका दाखिला भी हो जा रहा है तो आगे की उच्च शिक्षा क्या हाल होगा और भारत का भविष्य क्या होगा यह भी एक विचारणीय बिंदु है। क्या सिर्फ साक्षारता दर बढ़ाने के लिए ही शिक्षा का अधिकार आवश्यक है और यही इसका मुख्य कार्य है या बच्चों को उचित शिक्षा देना भी आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रति चालीस विद्यार्थी पर एक शिक्षक का अनुपात है और एक प्राथमिक स्कूल में पाँच तक की कक्षा चलती है तो क्या यह अनुपात उचित है। भले ही विद्यार्थी कम हो लेकिन पाँच तक की कक्षा चलाने हेतु कम से कम पाँच शिक्षक की आवश्यकता एक प्राथमिक स्कूल को होगी। इन सरकरी स्कूलों के शिक्षक से सरकार द्वारा स्कूल समय पर भी अतिरिक्त कार्य लिया जाता है जिससे विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी प्रधानाध्यापक का मानना है कि हमसे ये अतिरिक्त कार्य सत्र की छुट्टी में लिया जाय स्कूल समय में नहीं। कुछ स्कूलों की इमारत पुराना हो गई है उनके मरम्मत की आवश्यकता है और इन सभी स्कूलों में गांव के लोग छुट्टी होने के बाद ताश और दारू पीने जैसे अवांछनीय कार्य करते हैं, जिससे वहां के बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और कुछ अभिभावक भी इस स्कूल में इसीलिए अपने बच्चों को

[1] सभी असंरचित साक्षात्कार परिशिष्ट में संलगित है

पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। सभी प्रधानाध्यापक इस शिक्षा के अधिकार को अच्छा मानते हैं लेकिन कुछ सुधार की बात भी बताए हैं- जैसे बच्चों को फ़ेल करने की नीति को पुनः लागू करने, स्कूल समय में अतिरिक्त कार्य ना करने , शिक्षक के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने, अभिभावक को जागरूक करने हेतु कुछ अलग से प्रावधान करने आदि।

शोध प्रश्न के उत्तर-

प्रश्न 01- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर – प्रस्तुत लघु शोध में प्राप्त आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयित हुआ है। क्रियान्वयन के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल में इस नियम का पूर्णतया अनुसरण नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न 02- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की समस्याएं क्या है?

उत्तर- प्रस्तुत लघु शोध में प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित होने के फलस्वरूप इसमें कुछ समस्याएं व्याप्त है- जैसे ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के बीच समझ का न होना, शिक्षक से अतिरिक्त कार्य लेना जिससे वो बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को असमर्थ पाते है, बच्चों को समय से किताबों व ड्रेस का न मिलना, विद्यालय प्रबंधन समिति का कागजी रूप ही देखने को मिलता है ये अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहे है, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है आदि।

प्रश्न 03- सरकारी स्कूलों में पढनें वाले बच्चों के अनुपात पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर- चार्ट संख्या 34 व 35 तथा सारणी संख्या 1 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई है, परन्तु छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रश्न 04- क्या शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है?

उत्तर- हां शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मानवाधिकार है। मानवाधिकार के अनुच्छेद 26 से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है।

मानवाधिकार का अनुच्छेद 26 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है जिसमे निम्न बाते कहीं गयी हैं-

अनुच्छेद 26- (1)- प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी स्तरों पर निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। यांत्रिक और व्यवसायिक शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।

अनुच्छेद 26- (2)- शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानवाधिकारों व मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि करना होगा। इससे सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को आगे बढाया जायेगा।

अनुच्छेद 26-(3)- माता- पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाये।

संभावित समाजकार्य हस्तक्षेप

प्रस्तुत लघु शोध के माध्यम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने हेतु निम्न समाजकार्य हस्तक्षेप निम्न रूप से किए जा सकते हैं-

बच्चों के लिए

- बच्चों को विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाना।
- बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना।

अभिभावक के लिए

- अभिभावक को उनके दायित्व के बारे में बताना।
- अभिभावक को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना।
- अपने बच्चों को स्कूल के समय ध्यान देके भेजे।

शिक्षक के लिए

- मध्यकालीन भोजन की उचित व्यवस्था करना।
- बच्चों को प्रतिदिन व प्रत्येक वर्ग पढ़ाना।
- विभिन्न कार्यकर्मों के द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।

सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के लिए

- समय से बच्चों को किताबें और ड्रेस उपलब्ध कराया जाए।
- फ़ेल करने की नीति को पुनः लागू किया जाए।
- सरकार और प्रशासनिक अधिकारी को ये सुझाव देना की स्कूल समय में शिक्षक से अतिरिक्त कार्य ना लिया जाए।
- शिक्षक की कमी को दूर किया जाए।
- छात्र शिक्षक अनुपात को पुनः परिभाषित किया जाए।

भविष्य में शोध हेतु अनुमोदन (Recommendations For Future Research) –

- इस शोध को तात्कालिक संदर्भ में वृहद अध्ययन क्षेत्र व वृहद निदर्शन के स्तर पर किया जा सकता है।
- प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति व समस्या का अध्ययन किया जा सकता है।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम का महिला साक्षरता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
- लक्षित वर्ग समूह पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
- जनजाति समाजों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।